"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2013—आषाढ़ 4, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-32/2013/वाक. (पं.)/पांच (43).—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (52) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (53) जोड़ा जाता है :—

(53) राज्य शासन की "आटोमोटिव औद्योगिक नीति-2012" के अन्तर्गत आटोमोटिव उद्योगों (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स उद्योग) की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं शक्तीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन प्रयोजन हेतु भूमि, भवन, शेड के क्रय/पट्टे की लिखतों के पंजीयन पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करता है.

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2012 से प्रभावशील होकर 31 अक्टूबर, 2017 तक ही प्रभावशील रहेगी.

स्पष्टीकरण :—

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु परिभाषाएं वही होंगी जो वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-34/2010/वा.क. (पं.)/पांच (47), दिनांक 16-06-2010 के स्पष्टीकरण-1 में उल्लेखित है.

2. पंजीयन शुल्क से छूट के लिए लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा.

3. ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा.

4. पंजीयन शुल्क से छूट प्राप्त ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें आटोमोटिव औद्योगिक नीति-2012 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन होता है, के सतत् निगरानी/प्रतिवेदन संबंधित कलेक्टर को प्रेषित किये जाने का दायित्व उद्योग विभाग का होगा.

5. पंजीयन शुल्क से छूट के संबंध में आटोमोटिव औद्योगिक नीति-2012 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट, तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह पंजीयन शुल्क से छूट प्राप्ति दिनांक से, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उद्योग विभाग के समन्वय से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी.

6. ऐसे विलेखों, जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व पंजीयन शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें पंजीयन शुल्क से भुगतान की छूट प्राप्त नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक एफ 10-32/2013/वाक. (पं.)/पांच (43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/2013/वाक. (पं.)/पांच (43) दिनांक 25-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 25th June 2013

NOTIFICATION

No. F 10-32/2013/CT (R)/V (43).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registrarion Act, 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the Notification No. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Registration Fees" under the sub-heading "exemption and reduction" item No. (53) shall be added after item No. (52), namely :—

(53) State Government hereby remits the registration fees, chargeable on instruments executed for Sale/Lease of Land, Building and Shed for the establishment of Authomotive Industries (two wheeler, three wheeler, passenger and commercial vehicle, earth movers, vehicles used for agriculture purpose, auto components/parts industries) and the expansions, divercification, forward intrigration, backward intrigration of established industries under the Authomotive Industrial Policy-2012.

2. This notification shall come into effect from 1st of the November-2012 and shall remain in force only till 31st October-2017.

Explanations :— For the purpose of this notification—

(1) Definitions for the purpose of this notification shall be the same as mentioned in explanation of notification No. F-10-34/2010/CT(R)/V (47) dated 16-06-2010 of the Department of Commercial Taxes.

(2) The certificate issued by the GM/CGM District Trade and Industry Centre of the concerned district in case of small scale industries and by the Commissioner of Industries/Director of Industries or an officer so authorised, for industries other than samll scale industries only shall be accepted for exemption in registration fees.

(3) Such certificate shall be presented in original alongwith the deeds of sale/lease and enclosed in original with the office copy and shall be made a part of the record.

(4) It shall be the liability of the Department of Industries to monitor all cases that have been granted exemption for breach of conditions mentioned in the Automotive Industrial Policy-2012 and report such cases to the concerned Collector.

(5) The exemption of registration duty so granted shall become ineffective immediately for breach of the conditions mentioned in Automotive Industrial Policy-2012 and the registration fee so exempted shall be recovered by the Collector with the help of Department of Industries, as arrears of land revenue along with an interest at the rate of12.5% from the date of exemption.

(6) No exemption from the payment of registration duty shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this notification in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.